



कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना-800015
दूरभाष-0612-2215895, वेबसाइट-krishi.bih.nic.in ई-मेल-diragri-bih@nic.in,
diragri.bih@gmail.com



Govt of Bihar
Directorate of Agriculture



संचिका/पत्र सं०-09/उपा०/बीज/अनु०-22/2019 862 कृ०, पटना, दिनांक 15/2/21

कार्यालय आदेश

मेसर्स गंगामणी सीड्स प्रा० लि०, द्वारा-ओम कृषि केन्द्र, कचहरी रोड, जमुई, बिहार के बीज अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रतिष्ठान से प्राप्त प्रपत्र-‘ए’, कोषागार चलान, स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए राज्य स्तरीय बीज अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है:-

राज्य स्तरीय बीज अनुज्ञप्ति संख्या-11/2021 दिनांक 15.02.2021

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र-‘बी’ में अनुज्ञप्ति संख्या 11/2021 संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित संलग्न सूची के अनुसार ही बीज का व्यापार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि 11.02.2026 तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संचिका संख्या-09/उपा०/बीज/अनु०-22/2019 के पृष्ठ 11/टि० पर 12.02.2021 के प्रस्ताव में कृषि निदेशक, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:-यथोक्त।

ह०/-

(धनन्जय पति त्रिपाठी),

संयुक्त निदेशक (शष्प) उपादान
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 862

/कृ०, पटना, दिनांक 15-02-2021

प्रतिलिपि:- मेसर्स गंगामणी सीड्स प्रा० लि०, द्वारा-ओम कृषि केन्द्र, कचहरी रोड, जमुई, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

P. P. Tripathi
15/2/21
संयुक्त निदेशक (शष्प) उपादान
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।



Dhananjay
धनंजय मणि त्रिपाठी
संयुक्त निदेशक (शिक्षण) उत्पादन
काय निदेशालय, बिहार, पटना



FORM 'B'
(See Clause 5)

LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

Licence No 11/2021 Date 15.02.2021

Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the licence मेसर्स गंगामणी सीड्स प्रा० लि० is hereby granted licence to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business, द्वारा-ओम कृषि केन्द्र, कचहरी रोड, जमुई, बिहार the details of boundary of places for storage and sale appear below.

| Place of Sale | Place of Storage |
|--|---|
| मेसर्स गंगामणी सीड्स प्रा० लि०, द्वारा-ओम कृषि केन्द्र, कचहरी रोड, जमुई, खाता-432, खसरा-441, मौजा सतगामा | मेसर्स गंगामणी सीड्स प्रा० लि०, द्वारा-ओम कृषि केन्द्र, शास्त्री कॉलोनी मोड़, जमुई, खाता-432, खसरा-441, मौजा सतगामा |
| उत्तर - पंकज कुमार | उत्तर - पंकज कुमार |
| दक्षिण - अनिल कुमार | दक्षिण - अनिल कुमार |
| पूरब - गली | पूरब - गली |
| पश्चिम - मेन रोड | पश्चिम - मेन रोड |

Date :
Seal :

Dhananjay
(Dhananjay Pati Tripathi)

Joint Director (Agronomy) Input
Signature of the Licensing Officer Seal
Authority vide order of Director Agriculture
on dated 12.02.2021 in file No. 09/Input.Seed.Lic.-
22/2019 Note Sheet page No-11

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

- The licence shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
- The holder of the licence shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
- This licence comes into force with immediate effect and shall be valid upto. **11.02.2026** Unless previously cancelled or suspended.
- The holder of the licence shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
- The licence shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
- Separate licence should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately).

Dhananjay
(Dhananjay Pati Tripathi)

Joint Director (Agronomy) Input
Signature of the Licensing Officer Seal
Authority vide order of Director Agriculture
on dated 12.02.2021 in file No. 09/Input.Seed.Lic.-
22/2019 Note Sheet page No-11.

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं० : 09/उपा०/बीज अनु०-22/2019 862

दिनांक: 15/2/21

मेसर्स गंगामणी सीड्स प्रा० लि० के द्वारा बिहार राज्य में निम्न फसल प्रभेदों के बीजों का व्यवसाय किया जाएगा।

LIST OF CROPS & VARIETIES

| क्र० सं० | फसल का नाम | बीज के प्रकार | प्रभेद का नाम |
|----------|------------|------------------------|---|
| 1 | PADDY | NOTIFIED/ CERTIFIED | LALAT, MTU-1010, IR-64, DRR-44, GB-1, GB-3, SWARNA SUB-1, MTU-7029, PRATIKHA, MTU-1001, MTU-1075, PUJA, BARSHA, RAJENDRA MASURI |

- कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

P. J. Patil
15/2/2021
(धनन्जय पति त्रिपाठी)

संयुक्त निदेशक (शष्य), उपादान
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।